

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

28/3/23

उभय पक्ष उपरोक्त द्वितीय पक्ष का
 उल्लेख है कि उभय पक्षों, एलाह-
 नगर चौक से जाते हैं
 गाँव में प्रवेश करते हैं उभय-
 पक्षों को अलग-अलग नहीं है
 प्रत्येक पक्ष उभय पक्षों का
 विभाजन करने हेतु आगे
 बढ़ते हैं गाँव में आगे
 एक द्वार जाता है

(1)

28-3


द्वितीय पक्ष के द्वारा प/5
 दायित्व दिया गया।

द्वितीय पक्ष के द्वारा
 बताया गया है कि खाला - संक
 212, एलाह संक - 2488, 2489
 जाते हैं विवाह में लाना गया
 उभयों तथा उभयों चौकी से
 उभयों को अलग-अलग नहीं है

अतः वाढ की कियवाडि समाप्त
की जानी दी

द्वितीय पक्ष के उद्देश्य
अभिक्रान्त के अगलोक के इस
वाढ की कियवाडि समाप्त की जानी दी
साथ ही मुक्ति पर लौट परिशासि
की कियवाडि रखनी हेतु संवत्स पर का
उत्तरल- कुल- साधुल- करवा मु नय
यह की आदेश देना है कि प्रत्येक
पक्ष को उत्तर मुक्ति से तब तक
उत्तरल नही किया जाय तब तक
उत्तर संवत्स - यापलय से उत्तरल
आदेश परित न ही

जानि दी वाढ की कियवाडि समाप्त की


28-3-23